

G.P. 24
25/11/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No..... of 2013

Ram Bilash Mallick **Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Others... .. **Respondents**

Sub: *Other Miscellaneous Matter*

Group-

INDEX

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	Synopsis and List of date.	
2.	An application under Article 226 of the Constitution of India with Affidavit.	— 1 to 12
3.	<u>Annexure : 1:</u> Photo/typed copy of the petition dated 24.2.2011.	— 13
4.	<u>Annexure : 2:</u> Photo/typed copy of Report dated 20.7.2011.	— 14
5.	<u>Annexure : 3:</u> Photo/typed copy of the report dated 26.8.2011.	— 15
6.	<u>Annexure : 4&4/1:</u> Photo/typed copy of Notice dated 10.10.2011.	— 16 to 17
7.	<u>Annexure: 5:</u> Photo/typed copy of letter No. 1103 dated 25.11.11.	— 18
8.	<u>Annexure: 6 & 6/1:</u> Photo/typed copy of the Notice dated 31.1.2012.	— 19 to 20
9.	<u>Annexure: 7 :</u> Photo/typed copy of the Letter dated 14.2.2012.	— 21

- 10. Annexure: 8 :** Photo/typed copy of the representation dated 15.3.2012. — 22
- 11. Annexure: 9 & 9/1 :** Photo/typed copy of the Letter dated 24.3.12 — 23 to 24 & 2.4.12.
- 12. Annexure: 10 :** Photo/typed copy of the Report dated 19.5.12. — 25
- 13. Annexure: 11 :** Photo/typed copy of letter dated 15.10.12. — 26

VAKALATNAMA

SYNOPSIS

C. W. J. C. No./2013

(Ram Bilash Mallik ..Vrs..The State of Bihar & Others)

Reliefs Sought For : For issuance of a writ in the nature of Mandamus and/or any other appropriate writ, order or direction, commanding the respondents to take the decision immediately for acquisition of 465 sq. ft. (3'x155') of Plot no. 2037 and 465 sq. ft. (3' x 155') land of Plot no. 2038 situated in village- Pachahi, under Madhepur Circle in the district of Madhubani to prove 6'x155' connecting path to the petitioner to come to the village road from the house which has been closed by the respondent nos. 5 & 6 through which the petitioner and other persons of Mahadalit community were using as Rasta since several last years.

Relevant Dates and Events:

- 24.2.2011 : Petitioner filed a representation to the District Magistrate, Madhubani.
- 20.07.2011 : Circle Officer got an enquiry held by Halka Karamchari.
- 26.08.2011 : Circle Officer further directed to Halka Karamchari to submit a report.
- 10.10.2011 : Anchal Officer, Madhepur issued notice to the respondents no. 5 & 6.
- 25.11.2011 : Sub-Divisional Officer called for a report from the Circle Officer, Madhpur.
- 31.1.2012 : Anchal Adhikari, Madhepur issued notice to the respondent nos. 5 & 6.
- 14.2.2012 : Petitioner again filed a representation to the Sub-Divisional Officer, Jhanjharpur.
- 15.3.2012 : No action was taken, petitioner again filed a representation to the District Magistrate.
- 24.3.2012 : Under the order of the District Magistrate, Madhubani was forwarded to S.D.O.,

III

Jhanjharpur. S.D.O., Jhanjharpur forwarded to Circle Officer, Madhepur.

19.05.2012 : Circle Officer, Madhepur submitted his report to the In-charge Officer, District Public Grievance Cell, Madhepur.

15.10.2012 : In-charge Deputy Collector directed the Circle Officer, Madhepur to take necessary action.

Hence this Writ petition

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.

OF 2013

In the matter of an application
Under Article 226 of the
Constitution of India

AND

In the matter of

Ram Bilask Mallik, Son of Late Pulkit Mallik, resident of Village
– Pachahi, P.O. – Pachahi, P.S. – Madhepur, District – Madhubani...

... .. **Petitioner**

Versus

1. The State of Bihar
2. The District Magistrate, Madhubani.
3. The Sub-Divisional Officer, Jhanjharpur, District- Madhubani.
4. The Circle Officer, Madhepur.

5. Gulam Rasul, son of Late Saukat Ali, resident of Village-Pachahi, P.S.- Madhepur, District – Madhubani.
6. Yogendra Yadav, son of Dahaur Yadav, resident of village-Pachahi, P.S.- Madhepur, District- Madhubani.

... ..

Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature, at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above-named;

Most Respectfully Showeth :-

1. That this is an application for issuance of a writ in the nature of Mandamus and/or any other appropriate writ, order or direction, commanding the respondents to take the decision immediately for acquisition of 465 sq. ft. (3'x155')^{land} of Plot no. 2037 and 465 sq. ft. (3' x 155') land of Plot no. 2038 situated in village-Pachahi, under Madhepur Circle in the district of Madhubani to

^{provide}

~~prove~~ 6'x155' connecting path to the petitioner to come to the village road from the house which has been closed by the respondent, nos. 5 & 6 through which the petitioner and other persons of Mahadalit community were using as Rasta since several last years.

2. That the present writ petition is based upon the following grounds :-

- i. Whether the petitioner and other people of Mahadalit Tola are not entitled a connecting path for their ingress and outgress from the houses to the main village road ?
 - ii. Whether non-action of the respondents are not arbitrary ?
 - iii. Whether the State is not obliged to provide connecting road to the petitioner and others ?
3. That the petitioner is citizen of India.
4. That the petitioner is by caste DOM belongs to Mahadalit community.

5. That the house of the petitioner and his two brothers is situated over their ancestral land plot no. 2035 and 2036 in village Pachahi. There are 20 members in their family. About 15 years ago, the petitioner and other got constructed their house under 'Indra Awas Scheme'.

6. That the petitioner and his family members were using 5ft. wide Rasta to go to the main village road since the time of their ancestor. The aforesaid 5 ft. wide Rasta was a thick Aal between plot no. 2037 of respondent no.5 and plot no. 2036 of respondent no.6 in the length of about 155 ft.

7. That gradually the width of the said 5 ft. wide Aal was cut from both side and was made congested and was lastly closed by the respondent nos. 5 and 6 sometimes in February, 2011. It is stated that the petitioner and others have no other way for their ingress and outgress to their houses from the main village road and presently they come to road through the open field of others.

8. That the petitioner filed a representation on 24.2.2011 to the District Magistrate, Madhubani in Janta Darbar and he issued direction to the Circle Officer, Madhepur.

Photo/typed copy of petition dated 24.2.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

9. That the Circle Officer got an enquiry held by the Halka Karamchari and Anchal Amin, who submitted their report on 20.7.2011.

Photo/typed copy of Report dated 20.7.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

10. That the Circle Officer further directed on 12.8.2011 to the Halka Karamchari to submit a report as to how much amount would be required for the said Rasta. The Halka Karamchari on

26.8.2011 submitted a report that Rs.38,750/- would be require for acquisition of 1.06 dec. land for the connecting path.

Photo/typed of the report dated 26.8.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this petition.

11. That the Anchal Officer, Madhepur on 10.10.2011 issued notice to the respondent nos. 5 and 6 to appear before them and submit their point on the issue.

Photo/typed copy of Notice dated 10.10.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-4 & 4/1 to this petition.

12. That the Sub-Divisional Officer by his letter no. 1103 dated 25.11.2011 called for a report from the Circle Officer, Madhepur on the complain that the Rasta of the Mahadalit Tola has been closed.

Photo/typed copy of letter no. 1103 dated 25.11.11 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

13. That the Anchal Adhikari, Madhepur issued notice dated 31.1.12 to the respondent nos. 5 and 6 to appear before him on 7.2.12 and produce their evidence as they had given in writing that one Dak Babu would give the land but the Dak Babu has no land in the way.

Photo/typed copy of the notice dated 31.1.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-6 & 6/1, to this petition.

14. That the petitioner again filed representation to the Sub-Divisional Officer, Jhanjharpur that his way has been closed. The S.D.O., Jhanjharpur by letter no. 248 dated 14.2.12 call for a proposal for the connecting road.

Photo/typed copy of the letter dated 14.2.2012 is annexed herewith and marked as **Annexure-7** to this petition.

15. That when no action was taken, then the petitioner again filed representation on 15.3.2012 to the District Magistrate in Janta Darbar.

Photo/typed copy of the representation dated 15.3.2012 is annexed herewith and marked as **Annexure-8** to this petition.

16. That under the order of the District Magistrate, Madhubani, the petitioner's representation was forwarded to S.D.O., Jhanjharpur by letter no. 731 dated 24.3.2012 and the S.D.O., Jhanjharpur forwarded the same by letter no. 928 dated 2.4.2012 to the Circle Officer, Madhepur for immediate action.

Photo/typed copy of the letter dated 24.3.12 and 2.4.12 are

annexed herewith and marked as Annexure-9 & 9/1, to this petition.

17. That the Circle Officer, Madhepur by his letter no. 602 dated 19.5.12 submitted his report to the In-charge Officer, District Public Grievance Cell, Madhubani with a copy to the S.D.O., Jhanjharpur. It was said that the petitioner and his brothers are required Rasta and talk is being done to purchase the land.

Photo/typed copy of report dated 19.5.12 is annexed herewith and marked as Annexure-10 to this petition.

18. That by letter no. 3189 dated 15.10.12, the In-charge Deputy Collector directed the Circle Officer, Madhepur to take necessary action for providing connecting path to the petitioner.

Photo/typed copy of letter dated 15.10.12 is annexed herewith and

marked as Annexure-11 to this petition.

19. That in spite of all the aforesaid efforts nothing was done and connecting path was not provided to the petitioner and others for their ingress and outgress to the main village road from their houses.

20. That the respondent nos. 5 and 6 are not ready to sell the required area of their land for the connecting path for the petitioners and they refused to sell the required land. Now the only way is left out to acquire the required land for the purpose of connecting path for the petitioner and other Mahadalit peoples.

21. That the petitioner has no equally and efficacious, ^{and} expedient [^] alternative remedy other than one by way of writ from this Hon'ble Court.

22. That the petitioner has not moved this Hon'ble Court earlier against the impugned order.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to

admit this application, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for in para-1 of the writ petition be not granted to the petitioner and on return of the Rule and upon as such cause as may be shown and after hearing the parties make the Rule absolute in terms of para-1 of the writ application.

And/or

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Ram Bilash Mallick, aged about 28 years, Son of Late Pulkit Mallick, resident of Village – Pachahi, P.O. – Pachahi, P.S. – Madhepur, District – Madhubani, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of the writ petition read over and explained to me in Hindi, which I understood the same.
3. That the statement made in paragraph nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20 & 22 are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 9, 10, 11, 12, 13, 17 ... and ... 18 ... are true to my information derived from the records and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true photo/typed copies of their respective originals.

सेवा में,

श्रीमत् जिला पदाधिकारी महोदय,

मधुबनी।

विषय : महादीला ग्राम तमुदाय के लोगो का आवागमन का रास्ता बंद

कनवी देवार

महादीला

तमुदाय निवेदन यह है कि मैं राम बिलास मालिक पेठ स्व० पुलिका

मालिक, ताका मधुबनी, धानामटोपुर, जिला मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ।

करोब चार पीढ़ियों से मेरे पूर्वज ग्राम पधही में रह रहे हैं। खाता नं०-482, खोसरानं०-2035 रकबा 14 धूर भरा खोत्यानी जमीन है जिसमें डीदरा आवास द्वारा निर्मित

भरा मकान करोब 15 पर्षा से है जिसमें भरा वो मेरे दो अन्य भाइयों के परिवार का

कुल 208 बीसठ सस्य निवास करते हैं। मेरे धार से उत्तर दिशा में निकलने वाला करोब

50 मीटर लम्बा 5 फीट चौड़ा रास्ता गाँव के मुख्य खारण्जा सड़क से मिलती है जिसे

दोनो ओर पूरब के जमीन खाता नं० 1248 क्यू, खोसरानं० 18458 मालिक योगेन्द्र यादव

पेठ दाहौर यादव एवं पश्चिम के जमीन नया खोसरानं० 2037 के मालिक गुलाम रसूल पेठ

मालिक अथवा उक्त रास्ता को अतिक्रमण करते हुए धारे - धारे संकरा बना दिये और

अंत में पूरा बंद कर दिये हैं। फलतः गुजरने को लाने एवं ले जाने तथा घर आने एवं

बाहर जाने के क्रम में इनके खोतो से गुजरना पड़ता है जिससे खेत मालिकों को

मिडको लाना वो गाली नियाँमत रूप से सुननी पड़ती है जिससे इस अर्थात् वातावरण

में आतंकीपूर्ण पारिवारिक जीवन जीना सम्भव नहीं हो गया है।

ज्ञातव्य हो कि उक्त रास्ता हमलोगों का परम्परागत रास्ता रहा है।

हमारे पूर्वज इसी रास्ते से आते - जाते रहे हैं। कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया

लेकिन अब दोनो जमीन मालिक हमलोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर हमलोगों को धार

से निकार कराना वो भरा जमीन बढ़पना चाह रहे हैं। वोंको लोग पक्ष प्रवृत्ति के हैं,

इसलिए समाजिक पंचायती भी नहीं मानते हैं। मुझे डर है कि वे लोग मेरे वीर

परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार कृत्य कर सकता है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मुझे रास्ता बदलवाने का कृपा प्रदान करें

ताकि मेरा आवागमन बाधु हो सके।

इसके लिए मैं श्रीमान् का ऋण आभारों रहूँगा।

दिनांक
24/2/11

अधिकारि/सहायक,
श्रीमान् मिनाथ मालिक
श्रीमान् स्व० पुलिका मालिक

Handwritten notes on the left margin including 'C.O.', 'महादीला', 'कनवी देवार', 'के.एस.', and other illegible scribbles.

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
मधुबनी ।

13

विषय :- महादलित (डोम) समुदाय के लोगों का अवागमन का रास्ता बंद कर देने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन यह है कि मैं राम बिलास मल्लिक पे0 स्व0 पुलकित मल्लिक, साकिन- पचही, थाना- मधेपुर, जिला- मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ । करीब चार पीढ़ियों से मेरे पूर्वज ग्राम पचही में रह रहे हैं । खाता नं0- 482, खेसरा नं0- 2035 रकवा 14 धूर मेरा खतियानी जमीन है जिसमें इन्दिरा आवास द्वारा निर्मित मेरा मकान करीब 15 वर्षों से है जिसमें मेरा वो मेरे दो अन्य भाइयों के परिवार का कुल 20 (बीस) सदस्य निवास करते हैं । मेरे घर से उत्तर दिशा में निकलने वाला करीब 50 मीटर लम्बा 5 फीट चौड़ा रास्ता गाँव के मुख्य खरज्जा सडक से मिलती है जिसे दोनों ओर पूरब के जमीन (खाता नं0 124 (क), खेसरा नं0- 1845) मालिक योगेन्द्र यादव पे0 दाहौर यादव एवं पश्चिम के जमीन नया खेसरा नं0 2037 के मालिक गुलाम रसूल पे0 शौकत अली उक्त रास्ता को अतिक्रमित करते हुए धीरे-धीरे संकरा बना दिये और अंत में पूरा बंद कर दिये हैं । फलतः सुअरों को लाने एवं ले जाने तथा घर आने एवं बाहर जाने के क्रम में इनके खेतों से गुजरना पडता है जिससे खेत मालिकों की झिडकी ताना वो गाली नियमित रूप से सुननी पडती है जिससे इस अशांत वातावरण में शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन जीना एकदम कठिन हो गया है ।

ज्ञातव्य हो कि उक्त रास्ता हमलोगों का परम्परागत रास्ता रहा है । हमारे पूर्वज इसी रास्ते से आते-जाते रहे हैं । कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया, लेकिन अब दोनों जमीन मालिक हमलोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर हमलोगों को घर से बेघर करना वो मेरा जमीन हडपना चाह रहे हैं । चूँकि वे लोग दबंग प्रवृति के हैं, इसीलिए समाजिक पंचायती भी नहीं मानते हैं । मुझे डर है कि वे लोग मेरे वो परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का अशोभनीय कृत्य कर सकता है ।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि मुझे रास्ता दिलवाने का कृपा प्रदान करें ताकि मेरा आवागमन चालू हो सके ।

दिनांक : 24/2/11

आपका विश्वासी,

ह0/- राम विलास मल्लिक पिता स्व0
पुलकित मल्लिक

विषय:- महाद्वीप (डोम) समुदाय के लोगों का अभावपत्र का
 राशता बंद करने के सम्बन्ध में
 सौदम - जिला पत्रकारी महोदय मधुपुरी के जनता सचिव
 में पिने गये अध्यावेदन
 तथा आपके दिनांक 01/3/11 के आदेश के आधारे में।
 महाद्वीप

आदेश संसं स्तितान का अभावपत्र किता तथा
 अभावपत्र जॉय प्रिय।

प्रेमजा पच ही यज्यं 257
 रणग - शंकरा - रण प्रिय - सातेडाबों फानाम
 374- 2038 2437 जयम दाहौरा प्राण पिता सौरी
 1031- 2037 1737 1111 सौरी अली पिता सौरी
 अली जाति मोरिने कि-
 चीज प्राण।

आवेदक राम बिलस भावरी पिता अणुप्राणित भावरी शं
 उनके दो भाइयों के पति, जिनके बड़का बेट मुक्ति से सोर
 दुर्गा के बसक के चतुर्थ भाई रहे हैं। से=2031
 आश्रील रास्ता है। आवेदक एवं उनके भाइयों का अवासिय
 मकान नं० 2035 तथा 2036 में विभाजित है।
 से=2037 तथा 2038 के बीच में है। जिसका 20 से होकर
 चलकर से= 2031 आश्रील रास्ता पर आते हैं।

2007
 आश्रील रास्ता पर
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050

को अवासिय भूमि माका जा सकता है।
 से=2037 में जमिन कर से 3'x15.5' = 46.5 वर्ग फीट
 अर्थात् 4.89 गुर तथा से=2038 में जमिन पाइके से
 3'x15.5' = 46.5 वर्ग फीट अर्थात् 4.89 गुर संपर्क
 पथ है। जमिन की आवश्कता है। भूपार की गलत
 रसूय एवं चोरोनु प्राण से पिता के नाम जयेश्वरिनाम
 में अंकित है। संपर्क पथ भूमि का भुजाजा विनमानुषार
 भूपार गलत की दिशा जा सकता है।

अनुलग्नक:- 1) से नकशा - 1 पृष्ठ
 2) प्रत्य आवेदक पत्र - 1 पृष्ठ
 2017/11

ANNEXURE-2

7.0

19

सेवा में,

अंचलाधिकारी महोदय, मधेपुर ।

अंचल कार्यालय, मधेपुर ।

विषय :- महादलित (डोम) समुदाय के लोगों का आवागमन का रास्ता बंद कर देने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी के जनता दरबार में दिये गये अभ्यावेदन तथा आपके दिनांक 01/3/11 के आदेश के आलोक में।

महाशय,

आर0 एस0 खतियान का अवलोकन किया तथा स्थल जाँच किया ।

मौजा - पचही थाना नं0 257

खाता	खेसरा	रकवा	किस्म जमीन	खातेदारों का नाम
374	2038	24 डी0	भीठ एक	दाहौर यादव पिता संती यादव जाति यादव नि0 नीज ग्राम
1031	2037	17 डी0	„	सौकत अली पिता मुहम्मद अली जाति मोमिन नि0 नीज ग्राम।

आवेदक राम विलास मल्लिक पिता स्व0 पुलकित मल्लिक एवं उनके दो भाईयों के परिवारों के सदस्य उक्त भूमि से होकर पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं । खे0 2031 ग्रामीण रास्ता है । आवेदक एवं उनके भाइयों का आवासीय मकान खेसरा 2035 तथा 2036 में स्थित है । खे0 2037 तथा 2038 के बीच मेढ है । जिसपर से होकर चलकर खे0 2031 ग्रामीण रास्ता पर आते हैं । वास्तव में इन लोगों को रास्ता के लिए 6' छः फीट भूमि खे0 2037 रकवा 17 डी0 पर वर्तमान में गुलाम रसूल के कब्जा में है । खे0 2038 रकवा 24 डी0 पर योगेन्द्र यादव का कब्जा है । चूँकि ये भूमि जोत की भीठ एक है । परन्तु इस भूमि को आवासीय भूमि माना जा सकता है ।

खे0 2037 में जानिब पूरब से $3' \times 155' = 465$ वर्गफीट अर्थात् 4.89 धूर तथा खे0 2038 में जानिब पश्चिम से $3' \times 155' = 465$ वर्गफीट अर्थात् 4.89 धूर संपर्क पथ हेतु जमीन की आवश्यकता है । भूधारी गुलाम रसूल एवं योगेन्द्र यादव के पिता के नाम नये खतियान में अंकित है । संपर्क पथ भूमि का मुआवजा नियमानुसार भूधारीगण को दिया जा सकता है ।

अनुलग्नक:- 1) ट्रेस नकशा - 1 प्रति

2) मूल आवेदन पत्र

ह0/- अस्पष्ट

20/7/XI

100/29/81

विषय:- महाद्वारा (डोम) समुदाय की संपर्क पत्र के संबंध में
 महाग्राम, सैदपुर जिला 1181 के आदेश के आलेख में।

आदेश:- शम बिकास मालिक पिता स्व. पुत्राक्षित मालिक साठ
 मौजे पचही थाना मधुपुर जिला मधुपुर

- सुपारीगण:- 1) गुलाम स्कूल पिता सौकत जली साठमौजे
 पचही थाना मधुपुर (मिथ्य मधुपुर)
 2) श्री गेन्द्र चाफ पिता स्व. हरीर चाफ साठमौजे पचही

दोनों सुपारीगण संपर्क पत्र में स्वच्छ से जमीनबंदी
 देना चाकते हैं;

खाता 1031 खेसरा 2037 रकम 465 वर्गफिट अर्थात् 4.89
 बुरतमा खाता 374 खेसरा 2038 रकम 465 वर्गफिट
 अर्थात् 4.89 बुरतमा संपर्क पत्र हेतु लेने की

आवश्यकता है। 4.89 बुरतमा 1.06 डीसमल होता है।
 निबंधन कार्यालय के अनुसार जमादाय भूमि का न्युनतम
 बाजार मूल्य 18,278 = ०० रुपये है। डीसमल होता है।
 अतः 1.06 डीसमल का मूल्य 19,375 = ०० (नौस
 हजार तीन सौ पच्चास रुपये होगा।)

1.06 डी = 19,375 = ०० रुपये
 1.06 डी = 19,375 = ०० रुपये

2.12 डी = 38,750 = ०० रुपये

संपर्क भूमि पत्र हेतु उक्त रकम रसद जारी की
 आवश्यकता है।

अतः आगे की कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक:- 1 (रकम जति)

26(81/X)

21/8/81
 26(81/X)
 पृ. नं. 2
 मधुपुर

ANNEXURE - 3

T. C.
15

सेवा में,

अंचलाधिकारी महोदय, मधेपुर
अंचल कार्यालय, मधेपुर ।

विषय :- महादलित (डोम) समूदाय को संपर्क पथ के संबंध में ।

संदर्भ :- दिनांक 11/8/11 के आदेश के आलोक में ।

आवेदक :- रामबिलास मल्लिक पिता स्व० पुलकित मल्लिक सा० मौजे पचही, थाना
मधेपुर, जिला- मधुबनी ।

भूधारी :- 1) गुलाम रसूल पिता सौकत अली मरहूम सा० मौजे पचही थाना मधेपुर
जिला मधुबनी ।

2) योगेन्द्र यादव पिता स्व० दहौर यादव सा० मौजे पचही

दोनों भू-धारीगण संपर्क पथ में स्वेच्छा से जमीन नहीं देना चाहते हैं ।

खाता 1031 खेसरा 2037 रकवा 465 वर्गफीट अर्थात् 4.89 धूर तथा खता 374 खेसरा
2038 रकवा 465 वर्गफीट अर्थात् 4.89 धूर भूमि संपर्क पथ हेतु लेने की आवश्यकता है।
4.89 धूर का 1.06 डीसमल होता है । निबंधन कार्यालय के अनुसार आवासीय भूमि का
न्यूनतम बाजार मूल्य 18,278-00 रूपये फी डिसमल होता है । अतः 1.06 डीसमल का
मूल्य 19375-00 उनैस हजार तीन सौ पछत्तर रूपये होगा ।

1.06 डी० -- 19375-00 रूपये

1.06 डी० -- 19375-00 रूपये

2.12 डी० -- 38,750-00 रूपये

संपर्क पथ हेतु उक्त रकवा एवं राशि की आवश्यकता है ।

अतः आगे की कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक :- एक प्रति ।

ह०/- अस्पष्ट

प्र० अ० नि०

26/8/11

ह०/- अस्पष्ट

रा० क०

26/8/11

ह० नं० 2, मधेपुर ।

कार्यालय अंचल अधिकारी मुंबई (Annexure - 4)

डाफ्ट नं. 53/ दिनांक 10-10-11

खि प्रया: -

16

नोबि वनाम - गुलाम
रखल पी. रवठ सोफा
आली ला पचघी
पाना - मुंबई

कजिये नोबि आपको खचित किया जाता
हे कि सोजा पचघी का फेस नं 2038 जो
शेती प्रक हे जिसे महापालक डेम येल में
खर्क सड़क हेतु आवश्यकता हे।

अतः आपको आदेश दिया
जाता हे कि प्रक विवाद निराकरण अधिनियम
09 के आलोक में दिनांक 18-10-11 को 1000
रि में अधीक्षताधी के खस उपस्थित होकर
खपना पत्र प्रस्तुत करें।

इसे लक्ष्य करें।

18/10/11
अंचल अधिकारी
मुंबई
10/10



ANNEXURE - 4

T.C.

16

कार्यालय अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

ज्ञापांक 53 / दिनांक 10.10.11 /

XI

सूचना :-

नोटिश वनाम - गुलाम रसूल पे0 स्व0 सौकत अली
सा0 पचही थाना - मधेपुर ।

वजरिये नोटिश आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पचही का खेसरा नं0
2038 जो रैयती भूमि है जिसे महादलित डोम टोला में सम्पर्क सडक हेतु आवश्यकता है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 09 के
आलोक में दिनांक 18-10-11 को 11 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

इसे ताकिद जानें ।

ह0/- अस्पष्ट

10/10/11

अंचल अधिकारी

मधेपुर ।

मुहर

ह0/- अस्पष्ट

10.10

कार्यालय अंचल अधिकारी मसौदा

डापीक 53
21

दिनांक 10/11

17

प्रथम

नोटिस वनाम - भोगेन्द्राएव
के दहौराएव
खा० पन्धरी

वजहसे नोटिस आपको भिजाया
जाता है कि मौजा पन्धरी का खेपरा
नं० 2038 जम रैगती ग्रंथि है। मध्यकालित
सिम देला के आवागम के सम्पर्क सडक
हैतु अनठित में आनगपठ है।

कतः आपको आदेश
दिया जाता है कि मूमि खियाद आरम्भ
अधिनियम 09 के आदेश में दिनांक
18-10-11 के अधीनस्वासी के खसम
उपरिचत लेकल अपना पाम प्रस्तुत करें

इस तादिजाके।



10/11/10
अंचल अधिकारी
मसौदा
10/10

ANNEXURE - 4/1

T. C. 1
17

कार्यालय अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

ज्ञापांक 53 / दिनांक 10.10.11 /

XI

सूचना :-

नोटिश वनाम - योगेन्द्र यादव पे0 दहौर यादव
सा0 पचही थाना - मधेपुर ।

वजरिये नोटिश आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पचही का खेसरा नं0
2038 जो रैयती भूमि है। महादलित डोम टोला के आवागमन के सम्पर्क सडक हेतु
जनहित में आवश्यक है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 09 के
आलोक में दिनांक 18-10-11 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष
प्रस्तुत करें ।

इसे ताकिद जानें ।

ह0/- अस्पष्ट

10/10/11

अंचल अधिकारी

मधेपुर ।

मुहर

ह0/- अस्पष्ट

10.10

1103

पुणे जिल्हा

11-4/11

महाराष्ट्र शासन
महामंडळीय
महामंडळीय
महामंडळीय

अधिकारी
महामंडळीय

25

महामंडळीय (जेम्स) कडून लोकांच्या आवाज
का रास्ता कड कड देणे के संबंध में

883
07.12.11

महामंडळीय (जेम्स) कडून लोकांच्या आवाज
का रास्ता कड कड देणे के संबंध में
महामंडळीय (जेम्स) कडून लोकांच्या आवाज
का रास्ता कड कड देणे के संबंध में

महामंडळीय
महामंडळीय

ANNEXURE - 5

T.C.
18

पत्रांक 1103 / राजस्व

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
मधेपुर ।

झंझारपुर, दिनांक 25 मई, 2011

विषय :- महादलित (डोम) समुदाय के लोगों का आवागमन का रास्ता बन्द कर देने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महादलित श्री रामविलास मल्लिक, पिता स्व० पुलकित मल्लिक, ग्राम- पचही, थाना - मधेपुर, अंचल - मधेपुर द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र मूल संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर अविलम्ब अग्रेत्तर कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें ।

अनु०:- यथोक्त वर्णित (ग्यारह पन्नों में)

विश्वासभाजन,
ह०/- अस्पष्ट
अनुमण्डल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।

ख-यग

जोड़के लगाम - बुलाम रखल

पैठ खास सौकराअठ
खास पचाही जाना-
मधेपुरा।

कारिमें जोड़के आपको खचित दिना जगल है कि
मैजा पचाही का 200 खेसरा नं 2030 जो रैपती भूक्ति
है जिसे महादण्डत डेम योण में कर्पक सड़क हेतु
आवश्यकता है जिसके समान्य में पूर्व में भी आपसे
डापॉक 53 दिनांक 10-10-11 को दिना गमा मा जिले
आपके द्वारा लिखित रुप में कहा गया है कि डाकघर
रास्ता हेतु भूक्ति देगे। लेकिन रास्ता में डाकघर
कोई जमान उपलब्ध नही है। जो रविवार में भी
वर्ज नही है।

उता आपको कोदेम दिना
जगल है कि दिनांक 7-2-12 को अप्प्रीहस्तासदे
के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें।
इसे आवश्यक समझें।



Handwritten signature and name:
मधुसूदन
मधुसूदन

ANNEXURE - 6

कार्यालय अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

ज्ञापांक 64 / दिनांक 31.9.12 /

XI

सूचना :-

नोटिश वनाम - गुलाम रसूल पे0 स्व0 सौकत अली
सा0 पचही थाना - मधेपुर ।

वजरिये नोटिश आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पचही का खेसरा नं0 2037 जो रैयती भूमि है जिसे महादलित डोम टोला में सम्पर्क सडक हेतु आवश्यकता है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको ज्ञापांक 53/X दिनांक 10-10-11 को दिया गया था जिसमें आपके द्वारा लिखित रूप में कहा गया है कि डाक बाबू रास्ता हेतु भूमि देंगे । लेकीन रास्ता में डाक बाबू का कोई जमीन उपलब्ध नहीं है । जो खतियान में भी दर्ज नहीं है ।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 7-2-12 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

इसे आवश्यक समझें ।

मुहर

ह0/- अस्पष्ट

अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

संख्या :- Amex/100/6/1 20

नौरथि तनम - मोरोदु पाहन

पै० हाँडेर गाहन

स० पचघी जारां मपेपुर

कारिथे नौरथि आपको दपिन दिपा जाता है कि
मौजा पचघी का खेका 10 2038 जो रैमली भूमि है
जिसे महादलित प्रोग प्रोगा में सम्पर्क सक है। उक्त
है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको आपकी
53 दिमाक 10-10-11 को दिपा गया था जिसमें आपके
द्वारा लिखित रूप में कहा गया है कि डाकबाबू
का कोई रास्ता हेतु भूमि देवे। लेकिन रास्ता में
डाकबाबू का कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। जो खीसा
में दर्ज नहीं है। अतः आपको आदेश दिपा जाता
है कि दिमाक 7-2-12 को अचोहस्ताक्षरी के
समक्ष उपस्थित होकर सार्व प्रस्तुत करें।
इसे आवश्यक समझे।



सचिव आधिकारी
मपेपुर

ANNEXURE - 6/1

T.C.

20

कार्यालय अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

ज्ञापांक 64 ___ / दिनांक 31.01.12 /

XI

सूचना :-

नोटिश वनाम - योगेन्द्र यादव पे0 दहौर यादव
सा0 पचही थाना - मधेपुर ।

वजरिये नोटिश आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पचही का खेसरा नं0 2038 जो रैयती भूमि है। जिसे महादलित डोम टोला में सम्पर्क सडक हेतु आवश्यकता है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको ज्ञापांक 53/X दिनांक 10-10-11 को दिया गया था जिसमें आपके द्वारा लिखित रूप में कहा गया है कि डाक बाबू रास्ता हेतु भूमि देंगे । लेकिन रास्ता में डाक बाबू का कोई जमीन उपलब्ध नहीं है । जो खतियान में भी दर्ज नहीं है । अतः आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 7-2-12 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

इसे आवश्यक समझें ।

मुहर

ह0/- अस्पष्ट

अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

Ann. 7

Annexure - 7

क्रमांक 2112/राजस्व।

श्रेष्ठ,

अनुमण्डल सहायिकाकारी,
इंकारपुर।

सेवा में,

अनुमण्डल सहायिकाकारी,
इंकारपुर।

इंकारपुर, दिनांक 14 वीं अक्टूबर, 2012 ई0।
आवस्य का आवागमन का रास्ता बंद कर देने।

महावलिडोमोसमुदाय के लोगों का आवागमन का रास्ता बंद कर देने।
महोदयों को सूचित किया जाता है कि जयदेव नं. वणिक्ति नि.
पथदी द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र लेन न करते हुए कहना है कि जयदेव नं. वणिक्ति नि.
ऑफिस पर जांच करती यदि सम्पूर्ण सड़क का मार्ग है की प्रस्ताव है।

अनु0: - याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया में।

179
21.2.12

विश्वनाथबाबन,

अनुमण्डल सहायिकाकारी
इंकारपुर।

ANNEXURE - 7

त.स.

21

पत्रांक 248 / राजस्व ।

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,

झंझारपुर ।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

मधेपुर ।

झंझारपुर, दिनांक 14 वीं फरवरी, 2012 ई० ।

विषय :- महादलित (डोम) समुदाय के लोगों का आवागमन का रास्ता बंद कर देने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री रामविलास मल्लिक पे० स्व० पुलकित मल्लिक सा० पचही द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर जांच कर लें। यदि सम्पर्क सडक का मामला है तो प्रस्ताव दें।

अनु०:- यथावर्णित (नौ प्रतियों में)

विश्वासभाजन,

ह०/- अस्पष्ट

अनुमण्डल पदाधिकारी,

झंझारपुर ।

590 मिनियुल
15/3

सेवा में
श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
मधुबनी।

विषय :- महानगर विकास (डीएम) समुदाय के लोगों का आवागमन का
रिस्त बन्द कर देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मेराम विकास मल्लिक पेठ-
स्व0- पुलकित मल्लिक साकिन- पवही, धाना- मधुपुर जिला- मधुबनी
का स्वामयी निवासी हूँ। करीब चार पीढ़ियों से मेरे पूर्वज ग्राम-पवही
में रह रहे हैं। खाता नं0- 482 ठोसरा नं0- 2035 रकमा- 14 धूर मेरा
खातियानी जमीन है जिसमें इंदिरा अणुवास द्वारा निर्मित मेरा मकान
करीब 15 वर्ग फीट से है। जिसमें मेरा पेटा मेरे दो अन्य भाइयों के परिवार
का कुल 20 बीसों सदस्य निवास करते हैं। मेरे घर से उत्तर दिशा में
निकलने वाला करीब- 50 मीटर लंबा 5 फीट चौड़ा रास्ता गांव के
मुख्य कारंजा सड़क से मिलती है जिसे दोनों ओर पूरब के जमीन खाता
नं0- 124 का ठोसरा नं0- 1845 मालिक योगेन्द्र यादव पेठ- दाहौर
यादव एवं यादव के जमीन नया ठोसरा नं0- 2037 के मालिक गुलाम
रसूल पेठ- साकिन अती उक्त रास्ता को अतिक्रमण करते हुए धीरे-धीरे
संकरा बना दिया और जन्त में घूरा बन्द कर दिये; फुलतः चुअरो को
बाने एवं बाहर जाने के क्रम में इनके जेतों से
गुजरना पड़ता है जिसे छोट मालिकों की झिड़की ताना वो गाली
नियमित रूप से सुननी पड़ती है। जिससे इस अशांति वातावरण में शांति
पूर्ण परिवारिक जीवन जीना सम्भव नहीं हो पाया है।

617
जनता दरबार
मुसल

ज्ञात हो कि उक्त रास्त हम लोगों का परम्परागत रास्ता
रहा है। हमारे पूर्वज इसी रास्ते से आजे- जाते रहे हैं। कभी किसी ने इसे
रोक नहीं दिया था किन्तु अब दोनों जमीन मालिक हम लोगों पर अनाव-
श्यक दबाव डालकर हम दोनों लोगों को घर से बाहर करना वो मेरा
जमीन सम्पत्ति बाह रहे है वही ये लोग दबंग प्रवृत्ति के है इसी लिए
समाजिक न्यायवादी भी नहीं मानते है। मुझे डर है कि वे लोग मेरे
परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का अशोभनिय कृत्य कर
सकता है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि मुझे रास्त दिलवाने का कृपातः
प्रदान करें ताकि मेरा आवागमन पास हो सके।

इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूंगा।

दिनांक
19/03/20

आपका निवासी,
डा. विजय मल्लिक
ग्राम नं. 0 पवही
धाना- मधुपुर
मधुबनी

ANNEXURE - 8

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
मधुबनी ।

T.C.
22

विषय :- महादलित (डोम) समुदाय के लोगों का अवागमन का रास्ता बंद कर देने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन यह है कि मैं राम बिलास मल्लिक पे0 स्व0 पुलकित मल्लिक, साकिन- पचही, थाना- मधेपुर, जिला- मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ । करीब चार पीढ़ियों से मेरे पूर्वज ग्राम पचही में रह रहे हैं । खाता नं0- 482, खेसरा नं0- 2035 रकवा 14 धूर मेरा खतियानी जमीन है जिसमें इन्दिरा आवास द्वारा निर्मित मेरा मकान करीब 15 वर्षों से है जिसमें मेरा वो मेरे दो अन्य भाइयों के परिवार का कुल 20 (बीस) सदस्य निवास करते हैं । मेरे घर से उत्तर दिशा में निकलने वाला करीब 50 मीटर लम्बा 5 फीट चौड़ा रास्ता गाँव के मुख्य खरंजा सडक से मिलती है जिसे दोनों ओर पूरब के जमीन (खाता नं0 124 (क), खेसरा नं0- 1845) मालिक योगेन्द्र यादव पे0 दाहौर यादव एवं पश्चिम के जमीन नया खेसरा नं0 2037 के मालिक गुलाम रसूल पे0 शौकत अली उक्त रास्ता को अतिक्रमित करते हुए धीरे-धीरे संकरा बना दिये और अंत में पूरा बंद कर दिये हैं । फलतः सुअरों को लाने एवं ले जाने तथा घर आने एवं बाहर जाने के क्रम में इनके खेतों से गुजरना पडता है जिससे खेत मालिकों की झिडकी ताना वो गाली नियमित रूप से सुननी पडती है । जिससे इस अशांति वातावरण में शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन जीना एकदम कठिन हो गया है ।

ज्ञातव्य हो कि उक्त रास्ता हमलोगों का परम्परागत रास्ता रहा है । हमारे पूर्वज इसी रास्ते से आते-जाते रहे हैं । कभी किसी ने रोक नहीं किया लेकिन अब दोनों जमीन मालिक हमलोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर हमलोगों को घर से बेघर करना वो मेरा जमीन हडपना चाह रहे हैं चूंकि वे लोग दबंग प्रवृति के हैं, इसीलिए समाजिक पंचायती भी नहीं मानते हैं । मुझे डर है कि वे लोग मेरे वो परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का अशोभनीय कृत्य कर सकता है ।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि मुझे रास्ता दिलवाने का कृपा प्रदान करें ताकि मेरा आवागमन चालू हो सके ।

इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा ।

दिनांक : 15/3/12

आपका विश्वासी,

ह0/- राम विलास मल्लिक

ग्राम+पो0- पचही, थाना- मधेपुर, मधुबनी।

Annexure - 9
Complaint (F.L. case) 28/3/12

23

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला जन शिकायत कोषांग)
पत्रांक 731 / ज0शि0को0

प्रेषक,
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी।

Handwritten signatures and initials.

सेवा में,
अनुमंडल पदाधिकारी
अंझारपुर

मधुबनी, दिनांक- 24 वीं मार्च 2012 ई0।

विषय :- जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार से प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी महोदय को आयोजित जनता दरबार में निम्नलिखित परिवादकर्ता द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया है। प्रपत्र- I एवं II तथा परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भजा जा रहा है।

481
28-3-12

अतः निदेशानुसार अनुसंध है कि परिवाद पत्र पर पृष्ठांकित आदेश/निदेश के आशोक में परिवाद पत्र में वर्णित बिंदुओं पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले को अंतिम रूप से निस्तार किया जाय तथा तत्संबंधी कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन (ATL) एवं संलग्न प्रपत्र- I एवं II में भर कर मूल आवेदन के साथ एक सप्ताह के अन्दर इस कोषांग को वापस करने का कष्ट किया जाय। साथ ही संबंधित आवेदक/परिवादी को कृत कार्रवाई की सूचना देते हुए प्रपत्र- III में उनकी सहमति UPC डाक द्वारा भेजकर ली जाय।

ID.No- _____

अनुलग्नक :- यथोपरि।

क्र	परिवादकर्ता का नाम	पता	I.D.No.
1	रामाविलास मल्लिक	पचही - मधुपुर	617

विश्वासभाजन,
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी

दिनांक
13/12

आपका विश्वासी,
राम विलास मल्लिक

ANNEXURE - 9

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला जन शिकायत कोषांग)

T.C.

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी ।

23

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।

मधुबनी, दिनांक 24 वीं मार्च, 2012 ई0।

विषय :- जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार से प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी महोदय को आयोजित जनता दरबार में निम्नलिखित परिवादकर्ता द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया है। प्रपत्र-I एवं II तथा परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि परिवाद पत्र पर पृष्ठांकित आदेश/निदेश के आलोक में परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले को अंतिम रूप से निस्तार किया जाय तथा तत्संबंधी कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन (ATL) एवं संलग्न प्रपत्र-I एवं II में भर कर मूल आवेदन के साथ एक सप्ताह के अन्दर इस कोषांग को वापस करने का कष्ट किया जाय । साथ ही संबंधित आवेदक/परिवादी को कृत कार्रवाई की सूचना देते हुए प्रपत्र - III में उनकी सहमति UPC डाक द्वारा भेजकर ली जाय ।

ID. No.- -----/

अनुलग्नक :- यथोपरि ।

क्र०	परिवादकर्ता का नाम	पता	I.D. No.
1.	रामविलास मल्लिक	पचही - मधेपुर	617

विश्वासभाजन

ह०/- अस्पष्ट

23.3.12

प्रभारी पदाधिकारी,

जिला जन शिकायत कोषांग,

मधुबनी ।

पत्रांक 928 / दिनांक 2.4.12

Am. 9/1

पेषक

Amexure - 9/1

अनुमंडल पदाधिकारी

इंझारपुर।

प्रेषित

ऑडल अधिकारी
मधुपुर

24

380
12.04.12

विषय- जिला जनता रुश्वार से प्राप्त परिवार-पत्र का प्रेषण :

प्रमाण- प्रभारी पदाधिकारी जिला जन शि० कोषांश मधुपुरी का पत्रांक 731/ज० शि०
दिनांक 24.3.12

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त परिवार पत्र इस पत्र के साथ मूल में संलग्न कर
ब्रेण जा रहा है।

अतएव अनुरोध है कि परिवार पत्र में वर्णित बिंदुओं का नियमानुसार जांच कर जांच प्रतिवेदन
एवं परिवार पत्र अपने मंतव्य के साथ पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधोहरताक्षरी को उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें। परिवार पत्र का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	परिवारी का नाम	पता	विषय
1	श्री राम विलास मल्लिक	शा०-पा०-पचही	महाकलित (डॉ०) सनुदायक लोनों का शास्त्र बन्द कर देने के संबंध में
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

अनुलग्नक- 11 (रुवाह) पन्ना

मूल परिवार-पत्र सहित।

नोट:- इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी

इंझारपुर।

ANNEXURE - 9/1

T.C.
24

पत्रांक- 928 / दिनांक 2.4.12

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।

प्रेषित,

अंचल अधिकारी,
मधेपुर ।

विषय :- जिला जनता दरबार से प्राप्त परिवार-पत्र का प्रेषण ।

प्रसंग :- प्रभारी पदा० जिला जन शि० कोषांग, मधुबनी का पत्रांक- 731/ज०शि०को०

दिनांक : 24.3.12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त परिवार पत्र इस पत्र के साथ मूल में संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अतएव अनुरोध है कि परिवार पत्र में वर्णित बिन्दुओं का नियमानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एवं परिवार पत्र अपने मंतव्य के साथ पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । परिवार पत्र का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	परिवादी का नाम	पता	विषय
1.	श्री राम विलास मल्लिक	ग्रा०+पो०-पचही	महादलित (डोम) समुदाय के लोगों का रास्ता बन्द कर देने के संबंध में ।

अनुलग्नक :- 11 (ग्यारह) पन्ना
मूल परिवार-पत्र सहित ।

नोट:- इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- अस्पष्ट
अनुमंडल पदाधिकारी
झंझारपुर ।

विषय :- श्री रामविलास मल्लिक, पंचही द्वारा प्रेषित परिवार पत्र रेजि. नं. 10
जॉय के सम्बन्ध में, निबन्धन सं० - 953

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 1136/अ.घि.को., दि० 07/05/12

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक परिनाही श्री मल्लिक के आवेदन पत्र की जॉय स्वयं पर आज्ञा, एन्प्रायज लैजों से पुष्टताक का किता, जॉय-व्यक्ति प्राप्त तब्य विनूवार विनवत है। -

1. आवेदक एवं उनके दो भाईयों का आवासीय मकान खेसरा सं० - 2035 एवं 2036, मौजा - पंचही, पाना न० - 257 में अवस्थित है।
2. आवेदक खेसा सं० - 2037 तथा 2038 के बीच बने मेढ से होकर खेसा सं० - 2031 ग्रामीण रास्ता पर आते हैं।
3. खेसा सं० 2037 रुका 12 डी० रैपनी खेत की श्रमि है, जिसपर वर्तमान में गुलाम खुल का दरबल है तथा खेसा सं० - 2038, रुका 24 डी० वर्तमान में भोजेन्द्र मादन धा० पंचही के दरबल में है। विनूवार सर्व स्वलिपान में भूधारी खुल एवं भोजेन्द्र के पिता का नाम दर्ज है।
4. आवेदक को खेसा सं० 2037 में आनिक शब्द 3' x 155' = 465 वर्ग फीट अर्थात् 4.89 फुट तथा खेसा सं० - 2038 में आनिक पश्चिम से 3' x 155' = 465 वर्ग फीट अर्थात् 4.89 फुट श्रमि 6 फुट शस्ते के लिए आवश्यक है।
5. ग्रामीणों के समझ रास्ता हेतु श्रमि कूप करने के लिए भूस्वामी गुलाम खुल एवं भोजेन्द्र मादन से आवेदक द्वारा वान्नी काई गई। आवेदक भोजेन्द्र खेत पर डिप्टि भूगण्ड को कूप करने से लिए तैयार है, परन्तु ग्रामीणों द्वारा जमीन बेचारी से शक्य किता गजा है तथा लिखित आवेदन देकर श्रमि किता गजा है, कि ये लोग डारु काक के जमीन से होकर दक्षिण संडर पर निकलते हैं।
6. आवेदक से आपकी बंधनारा के बाद उनके दो भाई हसिग-मोमू तथा स्वयं आवेदक उत्तर होकर प्रश्नगत खेसा के मेढ से निकलते हैं।
7. आवेदक एवं उनके दो भाईयों की शस्ते की आवश्यकता है। यहाँ पर मात्र डोम समुदाय के तीन परिवार बसे हुए हैं जिन्हें भूस्वामी से रास्ता हेतु भूदि कूप करने हेतु वान्नी की जा रही है।

सादर श्रुतार्थ एवं आवश्यक कोषार्थ जॉय प्रतिवेदन (मौचित)

निश्वासभाज

अध्यक्ष
अंमल
मधुबनी

इया 602 दि० 19.5.12

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, भंकारपुर की सेवा में पत्रांक 248
दि० - 14.2.12 से आपसलन में प्रेषित।

12/5/12

ANNEXURE - 10

T.C.

अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

25

पत्रांक- 702/ दिनांक 19.5.12

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी ।

विषय :- श्री रामविलास मल्लिक, पचही द्वारा प्रेषित परिवाद पत्र के जाँच के सम्बन्ध में,
निबंधन सं०- 153

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक- 1136 / ज० शि० को०, दि० 7/05/12

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक परिवादी श्री मल्लिक के आवेदन पत्र की जाँच स्थल पर जाकर स्थानीय लोगों से पुछताछ कर किया, जाँचोपरान्त प्राप्त तथ्य बिन्दुवार निम्नवत् है :-

1. आवेदक एवं उनके दो भाईयों का आवासीय मकान खेसरा सं०- 2035 एवं 2036, मौजा- पचही, थाना नं०- 257 में अवस्थित है ।
2. आवेदक खेसरा सं०- 2037 तथा 2038 के बीच बने मेढ से होकर खेसरा सं०-2031 ग्रामीण रास्ता पर आते हैं ।
3. खेसरा सं० 2037 रकवा 17 डी० रैयती खाते की भूमि है, जिसपर वर्तमान में गुलाम रसूल का दखल है तथा खेसरा सं०- 2038 रकवा 24 डी० वर्तमान में योगेन्द्र यादव सा० पचही के दखल में है । रिविजनल सर्वे खतियान में भूधारी रसूल एवं योगेन्द्र के पिता का नाम दर्ज है ।

4. आवेदक को खेसरा सं० 2037 में जानिब पूरब से 3 ft. x 155 ft. = 465 वर्गफीट अर्थात् 4.89 धुर तथा खेसरा सं० 2038 में जानिब पश्चिम से 3 ft. x 155 ft. = 465 अर्थात् 4.89 धुर भूमि 6 फुट रास्ते के लिए आवश्यक है ।
5. ग्रामीणों के समक्ष रास्ता हेतु भूमि क्रय करने के लिए भूस्वामी गुलाम रसूल एवं योगेन्द्र यादव से आवेदक द्वारा वार्ता कराई गई । आवेदक अपने खर्च पर उक्त भूखण्ड को क्रय करने के लिए तैयार है, परन्तु भूस्वामी द्वारा जमीन बेचने से इनकार किया गया है । तथा लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया है कि ये लोग डाक बाबू के जमीन से होकर दक्षिण सडक पर निकलते थे ।
6. आवेदक के आपसी बँटवारा के बाद इनके दो भाई दक्षिण होकर तथा स्वयं आवेदक उत्तर होकर प्रश्नगत खेसरा के मेढ से निकलते हैं ।
7. आवेदक एवं उनके दो भाईयों को रास्ते की आवश्यकता है। यहाँ पर मात्र डोम समुदाय के तीन परिवार बसे हुए हैं जिन्हें भू स्वामी से रास्ता हेतु भूमि क्रय करने हेतु वार्ता की जा रही है ।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ जॉच प्रतिवेदन समर्पित ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अस्पष्ट

अंचल अधिकारी, मधेपुर ।

ज्ञा० 602 / दि० 19.5.12

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर की सेवा में पत्रों 248 दि० 14.2.12 के अनुपालन में समर्पित ।

ह०/- अस्पष्ट

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्ता,
प्रभारी जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी।

26

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
मधुपुर।

मधुबनी, दिनांक 15 वीं अक्टूबर, 2012 ई0।

विषय :- श्री राम विलास मल्लिक के परिवार पत्र के संबंध में।


प्रसंग :- आपका पत्रांक- 602, दिनांक- 19.05.2012।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में निदेश है कि आवेदक को सम्पर्क पत्र उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जाय।

सम्पर्क पत्र

विश्वासभाजन



वरीय उप समाहर्ता,
प्रभारी जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी।

ANNEXURE - 11

T.C.

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला जन शिकायत कोषांग)

26

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्ता,
प्रभारी जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी ।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
मधेपुर ।

मधुबनी, दिनांक 15वीं अक्टूबर, 2012 ई 0 ।

विषय:- श्री राम विलास मल्लिक के परिवाद पत्र के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 602, दिनांक 19.05.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में निदेश है कि आवेदक को सम्पर्क पथ उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/- अस्पष्ट

वरीय उप समाहर्ता,
प्रभारी जन शिकायत कोषांग,
मधुबनी ।